Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. KS/2/2018/MINB1/SETRAN/RU-III **Date: 30.07.2019**

To,

Director General,
Doordarshan Bhawan,
Tower No. 1, Copernicus Marg,
Mandi House, New Delhi - 110001

Sub: **Minutes of the Meeting held on 02.07.2019 under Chairmanship of Hon'ble Vice-Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) in case of** Representation dated 03.10.2018 of Shri K. Srinivas, Video Executive, Dordarshan Kendra, Jaipur (Rajasthan) regarding Discrimination & continuous Harassment in the matters inter-se Seniority, Promotion, transfer Roaster System.

I am directed to enclose herewith **Minutes of the Meeting** held on **02.07.2019** on the above cited subject.

It is, requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within a week (07 Days).

Encl: As above.

Yours faithfully,

30/7/19

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy for information:

1. Shri K. Srinivas,
   Video Executive,
   Dordarshan Kendra,
   Jaipur (Rajasthan
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- KS/2/2018/MINB1/SETRAU/RU - III)

श्री के. श्रीनिवास, विडियो एक्जक्यूटिव, दूरदर्शन केंद्र जयपुर, राजस्थान द्वारा वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति और स्थानांतरण रोस्टर प्रक्रिया में भेदभाव और उत्पीड़न किए जाने के विषय में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उइके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2019 को आयोग में दोपहर 03.30 बजे आयोजित सीटिंग का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 02.07.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री के. श्रीनिवास, विडियो एक्जक्यूटिव, दूरदर्शन केंद्र जयपुर, राजस्थान द्वारा दिनांक 03.10.2018 को अंतर-वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति दिए जाने और स्थानांतरण प्रक्रिया में भेदभाव किए जाने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था।
2. मामले में माननीय उपाध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 06.03.2019 को बैठक की गई थी जिसमें डीडीजी (प्रशासन), दूरदर्शन उपस्थित हुए थे।
3. बैठक में आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की गई थी।
    - दूरदर्शन द्वारा शीघ्र पोस्ट स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए और अभ्यावेदक श्री के. श्रीनिवास का स्थानांतरण दूरदर्शन के बैंगलुरू केंद्र पर समयावधि के अंदर किया जाए।
    - अंतर-वरिष्ठता सूची में अभ्यावेदक का नाम उचित क्रम पर निर्धारित किया जाए एवं रोस्टर में नियमानुकूल बदलाव करते हुए शीघ्रातिशीघ्र अभ्यावेदक को पदोन्नति दी जाए।
    - दूरदर्शन, कार्यवृत्त की प्राप्ति होने के पश्चात 15 कार्यदिवस के अंदर आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराए ।
4. प्रकरण में विभाग द्वारा दिनांक 06.05.2019 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया था कि आयोग की अनुशंसा के अनुसार अभ्यावेदक का स्थानांतरण जयपुर से बैंगलुरू कर दिया गया है लेकिन अंतर-वरिष्ठता के अनुसार उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई है। विभाग द्वारा

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

इस विषय के समाधान हेतु एक कमेटी गठित की गई है तथा आयोग से दिनांक 30.06.2019 तक का समय मांगा गया था।

5. प्रकरण में आयोग द्वारा पुनः दिनांक 02.07.2019 को बैठक आहूत की गई जिसमें दूरदर्शन की ओर से डीडीजी (प्रशासन), व एएसओ उपस्थित हुए।
6. आयोग ने पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा, अभ्यावेदक ने बताया कि विभाग द्वारा बहुत अनियमितता की गई है। गजट नोटिफिकेशन का पालन नहीं किया जाता है। 30 साल से हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। न्यायाधिकरण में उन्होंने मामला दायर किया था जिसमें वेतनवृद्धि का फैसला आया है। विभाग द्वारा इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है और इसे सब-ज्यूडिश (Sub- judice) बता रहे हैं। यह सब-ज्यूडिश (Sub-judice) कैसे हो गया। विभाग द्वारा कमेटी गठित होने के पहले ही फैसला आ गया था। न्यायाधिकरण में अंतर-वरिष्ठता पर भी विचार करने का फैसला दिया गया है।
7. दूरदर्शन के अधिकारी ने बताया कि न्यायाधिकरण का फैसला आने पर विभाग द्वारा मंत्रालय को भेजा गया था। मंत्रालय ने निर्देश था कि इसमें समीक्षा याचिका (Review Petition) दायर किया जाना चाहिए। यह फैसला तो सबके लिए है तो इसमें भेदभाव किए जाने की कोई बात ही नहीं है। समीक्षा याचिका (Review Petition) बैंगलुरू डीडीजी के द्वारा किया जाना है क्योंकि वहीं न्यायाधिकरण में मामला दायर किया गया था। आयोग में अभ्यावेदन देने के बाद इनके द्वारा न्यायाधिकरण में मामला ले जाया गया था तो इस आधार पर मामला सब-ज्यूडिश (Sub- judice) हो जाता है। कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं प्राप्त हुई है, रिपोर्ट मिलने के पश्चात निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।
8. अभ्यावेदक ने बताया कि उन्हें बैंगलुरू कार्यालय में स्थान नहीं दिया जा रहा जबकि उनके स्थानांतरण को तीन माह हो चुके हैं। न्यायाधिकरण के निर्णय और आयोग की अनुशंसा को लागू करने के लिए दूरदर्शन को निर्देश दिया जाना चाहिए।
9. मामले में आयोग की अनुशंसा निम्नानुसार है :
    - अभ्यावेदक एक नया आवेदन सभी संलग्नक दस्तावेज के साथ आयोग को प्रस्तुत करें साथ ही उसकी कॉपी विभाग को भी प्रस्तुत करें।
    - विभाग आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर समीक्षा रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें।

    कार्यवृत्त की प्राप्ति के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराए ।

सुश्री अनुसुइया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- KS/2/2018/MINB1/SETRAU/RU - III)

श्री के. श्रीनिवास, विडियो एक्जक्यूटिव, दूरदर्शन केंद्र जयपुर, राजस्थान द्वारा वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति और स्थानांतरण रोस्टर प्रक्रिया में भेदभाव और उत्पीड़न किए जाने के विषय में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उइके उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
  - (2.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (3.) श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
  - (4.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **दूरदर्शन के अधिकारी**
  - (1.) श्री राजीव सिन्हा, डीडीजी(प्रशासन)
  - (2.) श्री ए. साहू, एएसओ
- **अभ्यावेदक**
  - (1.) श्री के. श्रीनिवास